

CURRENT AFFAIRS

NEWS FOR

UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

ABHAY Sir

05 Feb. 2025



BREAKING NEWS




- ❖ **Topic 1:-** गुजरात में जल्द लागू हो सकता है UCC: सीएम भूपेंद्र पटेल
- ❖ **Topic 2:-** राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission - NLM)
- Topic 3:-** परमाणु ऊर्जा मिशन – केंद्रीय बजट 2025-2026
- ❖ **Topic 4:-** इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)
- ❖ **Topic 5:-** मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान



गुजरात में जल्द लागू हो सकता
है UCC: सीएम भूपेंद्र पटेल

UNIFORM CIVIL CODE

- 1. समिति का गठन** – गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की।
- 2. अध्यक्षता** – समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई होंगी।
- 3. रिपोर्ट की समय सीमा** – समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
- 4. सरकार का निर्णय** – रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार UCC लागू करने पर निर्णय लेगी।




5. **उत्तराखंड के बाद गुजरात** – उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद गुजरात भी इसे जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
6. **आगे की प्रक्रिया** – सरकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर UCC लागू करने पर निर्णय लेगी।
7. **चुनावी वादा** – भाजपा ने 2022 के चुनाव घोषणापत्र में UCC लागू करने का वादा किया था।



❖ समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य


1. **एक समान कानून** – UCC सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है।
2. **धर्म और लिंग से स्वतंत्र** – यह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म या लिंग कोई भी हो।
3. **कानूनी एकरूपता** – इसका उद्देश्य देश भर में व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कानूनी प्रावधानों में समानता लाना है।
4. **भाजपा का प्रयास** – यह भाजपा के देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों का हिस्सा है।



राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission - NLM)



- ❖ राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2014-15 में शुरू किया गया था।
- ❖ **मिशन का उद्देश्य :-** पशुधन क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना, पशुपालकों की आय बढ़ाना और पशुधन उत्पादकता में सुधार करना है।
- ❖ **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और खाद्य सुरक्षा मानक –**
 1. खाद्य सुरक्षा और मानक (FSSAI) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गैर-बोवाइन दूध (बकरी, ऊंट, भेड़) के लिए मानक तय किए।
- ❖ यह खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के तहत शामिल है।



2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)2021 से भारत सरकार द्वारा लागू।

❖ पशुपालन, चारा उत्पादन और नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता।

❖ 50% पूंजीगत सब्सिडी (50 लाख रुपये तक) उपलब्ध।

3. **पालता और लाभार्थीपाल संस्थाएं:** व्यक्तिगत उद्यमीकिसान उत्पादक संगठन (FPO)स्वयं सहायता समूह (SHG)संयुक्त देयता समूह (JLG)किसान सहकारी संगठन (FCO)धारा 8 कंपनियां

4. उत्तर प्रदेश में प्रभाव145 परियोजनाएं स्वीकृत।

❖ 32.91 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी 1846 लोगों को रोजगार, 5,978 किसानों को लाभ।



❖ 28,000 मीट्रिक टन वार्षिक चारा उत्पादन क्षमता ।

❖ 30,371 पशुधन और 2,200 पोल्ट्री पक्षियों को शामिल करने में सहायता ।

5. हरियाणा में प्रभाव (सोनीपत सहित) 13 परियोजनाएं स्वीकृत ।

❖ 4.06 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी 162 लोगों को रोजगार, 144 किसानों को लाभ ।

❖ 2,400 मीट्रिक टन वार्षिक चारा उत्पादन क्षमता ।

❖ 3,940 पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों को सहायता ।

6. दीर्घकालिक लाभपशुधन उत्पादकता और आनुवंशिक सुधार में वृद्धि । किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता ।

❖ नस्ल सुधार फार्म और साइलेज प्लांट से छोटे किसानों को सहायता ।

❖ पशुपालकों की आय में वृद्धि और स्थानीय चारा उत्पादन को बढ़ावा ।



राष्ट्रीय पशुधन मिशन

1. उद्देश्य:

- ❖ पशुधन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना
- ❖ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
- ❖ छोटे और सीमांत पशुपालकों की सहायता करना
- ❖ चारे और चारा बीज उत्पादन को बढ़ावा देना
- ❖ पशुधन आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना



2. प्रमुख घटक (Components)



❖ NLM के तहत चार प्रमुख घटक हैं:

(i) पशुधन विकास (Livestock Development)

- ❖ पशुपालकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना
- ❖ स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और सुधार को बढ़ावा देना
- ❖ आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग (जैसे कृत्रिम गर्भाधान)

(ii) उद्यमिता विकास और व्यावसायिक विकास (Entrepreneurship Development & Business Development)

- ❖ पशुधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स और MSMEs को सहायता
- ❖ बकरी, भेड़, सुअर पालन, पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा
- ❖ डेयरी और मांस प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना



(iii) चारा और चारे के बीज उत्पादन (Feed & Fodder Development)

- ❖ उच्च गुणवत्ता वाले चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना
- ❖ गैर-परंपरागत चारा संसाधनों का उपयोग
- ❖ किसानों को चारा उत्पादन तकनीक में प्रशिक्षण

(iv) नवाचार और विस्तार (Innovation & Extension)


- ❖ डिजिटल तकनीकों का उपयोग (मोबाइल ऐप्स, ई-गवर्नेंस)
- ❖ पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ❖ पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार



3. कार्यान्वयन तंत्र (Implementation Mechanism)

- ❖ नोडल एजेंसी: पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- ❖ राज्यों की भागीदारी: केंद्र-राज्य साझेदारी मॉडल
- ❖ वित्तीय सहायता:

 - ❖ केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (सामान्य राज्यों के लिए)
 - ❖ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10
 - ❖ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित



4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन का महत्व

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना
- ❖ आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान
- ❖ दुग्ध उत्पादन और निर्यात क्षमता में वृद्धि
- ❖ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल टिकाऊ पशुपालन को बढ़ावा



5. हाल के सुधार और नई पहल

- ❖ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) के तहत वित्तीय सहायता
- ❖ **e-GOPALA ऐप**: पशुपालकों के लिए डिजिटल समाधान
- ❖ **राष्ट्रीय गोकुल मिशन**: स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए



परमाणु ऊर्जा मिशन – केंद्रीय बजट 2025-2026



❖ सरकार ने 2025-2026 के केंद्रीय बजट में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

❖ **मुख्य विशेषताएं**

❖ **लक्ष्य** – 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना (वर्तमान में लगभग 8 GW)।

❖ **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)** – स्वदेशी SMRs के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन, 2033 तक 5 SMRs चालू करने का लक्ष्य।

❖ **निजी भागीदारी** – परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन प्रस्तावित।



- ❖ **परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हालिया पहलें**
- ❖ **क्षमता विस्तार** – गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 10 नए रिएक्टर्स निर्माणाधीन (कुल क्षमता ~8 GW) ।
- ❖ **स्वदेशी उपलब्धियां** – राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट-7 (RAPP-7) ने 2024 में क्रिटीकेलिटी हासिल की ।
- ❖ **भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs)** – 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs), जो सुरक्षा और प्रदर्शन के मानकों पर खरे हैं ।
- ❖ **निजी क्षेत्र की भागीदारी** – BSRs के विकास में निजी कंपनियों को शामिल करने की संभावनाओं पर कार्य जारी ।



❖ यह मिशन भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

❖ **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs)**

❖ **परिभाषा:**

❖ उन्नत परमाणु रिएक्टर्स, जिनकी प्रति यूनिट उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक (MW(e)) तक होती है।

❖ यह क्षमता पारंपरिक परमाणु रिएक्टर्स की तुलना में लगभग एक-तिहाई होती है।

❖ **मुख्य विशेषताएं**

❖ **मॉड्यूलर निर्माण** – फैक्ट्री में निर्मित होकर साइट पर स्थापित किए जाते हैं, जिससे ऑन-साइट कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती।



- ❖ **इंक्रिमेंटल डिप्लॉयमेंट** – एकल या बहु-मॉड्यूल के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
- ❖ **लाभ**
 - ❖ कम प्रारंभिक पूंजी निवेश की आवश्यकता।
 - ❖ नवीकरणीय ऊर्जा सहित अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत करने की क्षमता।
 - ❖ उच्च सुरक्षा मानकों के साथ डिजाइन किए जाते हैं।
 - ❖ दूरस्थ और ऊर्जा-विहीन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए उपयुक्त।
 - ❖ लचीलापन और त्वरित तैनाती की सुविधा।
- ❖ **भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उनकी उत्पादन क्षमता**
 - ❖ भारत में 22 वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7,480 मेगावाट (MW) है। इसके अलावा, कई नए रिएक्टर निर्माणाधीन हैं, जिनसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।




सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उनकी क्षमता

संयंत्र का नाम	राज्य	रिएक्टरों की संख्या	कुल क्षमता (MW)
तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (TAPS)	महाराष्ट्र	4	1400
रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (RAPS)	राजस्थान	6	1180
काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KGS)	कर्नाटक	4	880
नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (NAPS)	उत्तरप्रदेश	2	440
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP)	तमिलनाडु	2 (4 निर्माणाधीन)	2000
कलपक्कम (मद्रास) परमाणु ऊर्जा संयंत्र (MAPS)	तमिलनाडु	2	440
गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (GHAVP) (निर्माणाधीन)	हरियाणा	(प्रथम चरण)	700

निर्माणाधीन और प्रस्तावित संयंत्र

संयंत्र का नाम	राज्य	कुल क्षमता (MW)	स्थिति
कुडनकुलम यूनिट 3-6	तमिलनाडु	4000	निर्माणाधीन
गोरखपुर यूनिट 1-2	हरियाणा	1400	निर्माणाधीन
चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र	मध्यप्रदेश	1400	प्रस्तावित
माही बासंवाड़ा परमाणु संयंत्र	राजस्थान	2800	प्रस्तावित
जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र	महाराष्ट्र	9900	प्रस्तावित (भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र)



इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)

❖ परिचय:

- ❖ एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई।
- ❖ मुख्यालय भारत में स्थित है।
- ❖ बहु-राष्ट्रीय और बहु-एजेंसी गठबंधन।

❖ सदस्यता

- ❖ 95 देश शामिल, जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियों के प्राकृतिक पर्यावास हैं।
- ❖ ऐसे देश भी सदस्य, जो संरक्षण में रुचि रखते हैं, भले ही उनके पास प्राकृतिक पर्यावास न हों।



❖ उत्पत्ति

- ❖ 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया ।
- ❖ 'प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष' पूरे होने के अवसर पर शुरू किया गया ।

❖ उद्देश्य

- ❖ सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण:
- ❖ बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा ।

❖ मुख्य लक्ष्य

- ❖ संरक्षण प्रयासों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना ।
- ❖ सफल संरक्षण पद्धतियों और विशेषज्ञता को साझा करना ।
- ❖ वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को मजबूत करना ।



- ❖ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) – सदस्यता और डिपॉजिटरी
- ❖ फ्रेमवर्क समझौते की डिपॉजिटरी – भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA)।
- ❖ वर्तमान सदस्य देश – निकारागुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया।
- ❖ इन देशों ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर IBCA के औपचारिक सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी की।




सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों की संरक्षण स्थिति

बड़ी बिल्ली प्रजातियां (Big Cats)	IUCN रेड लिस्ट श्रेणी	CITES दर्जा	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस)	एंडेंजर्ड	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
शेर (पैंथेरा लियो)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
हिज तेंदुआ (पैंथेरा अन्सिया)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
चीता (एसिनोनिकस)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-1	अनुसूची-1
जगुआर (पैंथेरा औका)	नियर थ्रेटेन्ड	परिशिष्ट-1	भारत में नहीं पाई जाती
प्यूमा (प्यूमा कॉनकालर)	लीस्ट कंसर्न	परिशिष्ट-1	भारत में नहीं पाई जाती

मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान



- ❖ स्थान और स्थापना
- ❖ अवस्थिति – इडुक्की, केरल ।
- ❖ स्थापना – 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित ।
- ❖ विशेषता – अनूठे शोला वन और हाथी गलियारे ।
- ❖ वन प्रकार
- ❖ सदाबहार वन ।
- ❖ आर्द्र पर्णपाती वन ।
- ❖ शोला घास के मैदान – पश्चिमी घाट के ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र, जहां छोटे जंगल (शोला) और घास के मैदान होते हैं ।



- ❖ **जैव विविधता**
- ❖ **पशु** – शेर-पूँछ मकैक, गौर, जंगली सूअर, सांभर हिरण, लंगूर आदि।
- ❖ शेर-पूँछ मकैक – स्थानिक (एंडेमिक) और संकटग्रस्त प्रजाति।
- ❖ **पक्षी** – गोल्डन हेडेड सिस्टोला (IUCN रेड लिस्ट में "Least Concern")।

- ❖ **मुख्य जल स्रोत**
- ❖ उचिलकुथी पुझा, मथिकेतन पुझा, नजंदर आदि (पन्नियार नदी की सहायक नदियां)।

- ❖ **सांस्कृतिक महत्त्व**
- ❖ **मुधवन आदिवासी बस्तियां** – अदुविलनधानकुडी क्षेत्र में स्थित।



THANK YOU



@resultmitra / 8650457000



@resultmitra



@resultmitra

